पत्रांक—14 / अमृत—01—19 / 2026 2853 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बिहारशरीफ।

पटना, दिनांक 23/07/26

विषयः— **केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT-2.0) अंतर्गत नगर निगम, बिहारशरीफ क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0— 23 में अवस्थित चक मोहम्मद पार्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 234.62495 लाख (दो करोड़ चौंतीस लाख बासठ हजार चार सौ पंचानबे रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन—2.0 (AMRUT-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतो का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज / सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इस योजना (AMRUT-2.0) के क्रियान्वयन हेतु परियोजना निधि (जनसंख्या के आधार पर 01 से 10 लाख तक) से केन्द्रांश तथा इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि से किया जाना है।

2. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन—2.0 (AMRUT-2.0) योजनान्तर्गत वार्ड नं0— 23 में अवस्थित चक मोहम्मद पार्क हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) ,बुडको द्वारा तैयार कराया गया है, जिसपर मुख्य अभियंता, आधारभूत संरचना एवं परिवहन, (दक्षिण बिहार उपभाग), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा दिनांक—03.06.2026 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा इस परियोजना के लिए राशि रू० 234.62495 लाख (दो करोड़ चौंतीस लाख बासठ हजार चार सौ पंचानबे रू०) की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

3. Apex समिति, भारत सरकार द्वारा अमृत 2.0 (Tranche-2) योजना अंतर्गत कुल 16 परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें नगर निगम, बिहारशरीफ क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0— 23 में अवस्थित चक मोहम्मद पार्क परियोजना जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 234.62495 लाख (दो करोड़ चौंतीस लाख बासठ हजार चार सौ पंचानबे रू०) शामिल है।

4. उक्त के आलोक में अमृत–2.0 योजनान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ–02 में अंकित परियोजना के लिए स्तम्भ–04 में अंकित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख रू0)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम एवं विवरणी	प्राक्कलित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*
01	अमृत–2.0 योजनान्तर्गत नगर निगम, बिहारशरीफ क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0– 23 में अवस्थित चक मोहम्मद पार्क निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा कायाकल्प हेतु फुटपाथ, बाउंड्री वॉल, गार्ड रूम, टिकट काउन्टर, शौचालय (महिला एवं पुरूष के लिए), बागवानी, सोलर लाइट, गार्डेन बैंच वर्षा जल संचय, गजीबों एवं अन्य कार्य शामिल है।	रू0 234.62495	रू0 234.62495 केन्द्रांश – 71.52385 लाख राज्यांश –163.10110 लाख
कुल राशि		**रू0 234.62495**	**रू0 234.62495**

(दो करोड़ चौंतीस लाख बासठ हजार चार सौ पंचानबे रू०)

5. उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

i. योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा कराया जायेगा।
ii. योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
iii. योजना का कार्यान्वयन चिन्हित भूमि का जिला पदाधिकारी से NOC/हस्तांतरण होने के उपरांत किया जाएगा।
iv. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा परियोजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षक/निर्देशन समय–समय पर किया जायेगा।
v. योजना हेतु कार्य स्थल पर बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिसपर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
vi. यह परियोजना अमृत 2.0 योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी।
vii. नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ आश्वस्त हो लेंगे कि योजना की डुप्लीकेसी किसी स्तर पर ना हो।

6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

7. उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राशि के आवंटन हेतु अलग से राज्यादेश/आदेश निर्गत किया जायेगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–14/अमृत–01–19/2026 2853 /न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक– 23/07/26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल/जिला पदाधिकारी, नालंदा/वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02 एवं प्रशाखा 06, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/7/2026

अपर सचिव।